कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/बजट/बी–1/9520/विविध/2018.19 दिनांक 28/8/18

समस्त उपनिदेशक,
जिला शिक्षा अधिकारी,
ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
डाईट/पंजीयक/एसआईआरटी।

विषयः– आवंटित बजट का आनुपातिक उपयोग नही करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषय में लेख है कि आपको विभिन्न विस्तृत मदें में आवंटित बजट के उपयोग की स्थिति शून्य होने पर आपको पूर्व में आगाह किया गया था। दिनांक 13.08.2018 की बैठक में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से आपको निर्देशित किया गया था कि आवंटित बजट का यथा समय उपयोग नही करने पर बजट निर्णायक समिति द्वारा संशोधित एवं आगामी वर्ष के अनुमानों के प्रावधान में कटौती करदी जाती है। अतः बजट का उपयोग सुनिश्चित करें अथवा आवश्यकता नही होने पर समर्पित करें। आप द्वारा उक्त बैठक के पश्चात भी आज तक प्रगति शून्य है।

बजट मे नियमानुसार वर्षभर आनुमानिक रूप से व्यय किया जाना होता है। बजट समय पर व्यय नही होने की स्थिति में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय बी.एफ.सी. की बैठक में विभाग को विपरीत स्थिति का सामना करना पडता है व मात्र न्यून व्यय के कारण ही अतिरिक्त आवंटन (मांग के अनुसार) नही हो पाता है।

अतः इस स्थिति के लिए आप तीन दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। आगामी एक सप्ताह में उपर्युक्त बजट आनुमानिक रूप से व्यय नही होने पर आपको आवंटित बजट प्रत्याहरित कर लिया जावेगा। इसके अतिरिक्त वेतन ऐरियर के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक ...3,4.... दिनांक 24.7.18 से चाही गई सूचनाऐ भी 10 दिवस में उपलब्ध करावे।

www.rajteachers.com

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर